इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 75

इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		10.00	62.41	72.41	10.00	101.84	111.84	...	68.19	68.19
पूंजी		14.00	2.00	16.00	14.00	91.45	105.45	12.00	2.00	14.00
जोड़		**24.00**	**64.41**	**88.41**	**24.00**	**193.29**	**217.29**	**12.00**	**70.19**	**82.19**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.70	6.70	...	6.50	6.50	...	6.59	6.59
लौह और इस्पात उद्योग										
2 सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
2.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लि.	6852	...	...	...	...	89.44	89.44	...	...	...
2.02 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	6852	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
	जोड़	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*91.44*	*91.44*	*...*	*2.00*	*2.00*
3. सब्सिडी										
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को ब्याज सब्सिडी	2852	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00
3.02 गारण्टी शुल्क माफ करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को ब्याज सब्सिडी	2852	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92
3.03 ब्याज माफी के लिए स्पांज आयरन इण्डिया लि. को ब्याज सब्सिडी	2852	...	...	...	...	36.78	36.78	...	...	...
3.04 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण को ब्याज सहायता	2852	...	16.25	16.25	...	18.60	18.60	...	18.60	18.60
3.05 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में मकान को ब्याज सहायता	2852	...	...	...	...	0.48	0.48	...	3.47	3.47
	जोड़	*...*	*52.17*	*52.17*	*...*	*91.78*	*91.78*	*...*	*57.99*	*57.99*
4. सार्वजनिक उद्यमों को स्वै. से. निवृत्ति हेतु अनुदान सहायता										
4.01 भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	2852	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
5. सरकारी उद्यमों में निवेश	4852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	6852	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	12.00	...	12.00
	जोड़	*14.00*	*...*	*14.00*	*14.00*	*...*	*14.00*	*12.00*	*...*	*12.00*
6. स्पांज आयरन इण्डिया लि. की पुनःसुधार योजना के संबंध में लेखाकरण समायोजन										
6.1 ऋण का इक्विटि में रूपान्तरण	4852	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
7. अन्य कार्यक्रम	2852	...	3.54	3.54	...	3.56	3.56	...	3.61	3.61
कुल जोड़		***24.00***	***64.41***	***88.41***	***24.00***	***193.29***	***217.29***	***12.00***	***70.19***	***82.19***
ग. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
5.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	12852	...	500.00	500.00	...	450.00	450.00	...	500.00	500.00
5.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	12852	...	60.00	60.00	...	92.00	92.00	...	55.00	55.00
5.03 स्पोंज आयरन इंडिया लि.	12852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	5.00	5.00
5.04 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	12852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	5.00	9.00
5.05 भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.	12852	4.00	10.40	14.40	4.00	0.50	4.50	5.00	8.00	13.00
5.06 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	12852	...	301.00	301.00	...	169.00	169.00	...	527.05	527.05
5.07 कुद्रमुख लौह अयस्क कम्पनी लि.	12852	...	282.00	282.00	...	60.00	60.00	...	133.00	133.00
5.08 मैग्नीज ओर इंडिया लि.	12852	...	11.60	11.60	...	14.22	14.22	...	32.50	32.50
5.09 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज	12852	1.00	2.00	3.00	1.00	0.75	1.75	1.00	2.45	3.45
5.10 मैकान लि.	12852	2.00	5.00	7.00	2.00	5.00	7.00	2.00	2.00	4.00
5.11 एम एस टी सी लि.	12852	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	20.00	20.00
5.12 फेरो स्क्रैप निगम लि.	12852	...	15.00	15.00	...	14.19	14.19	...	12.00	12.00
5.13 अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन	12852	...	96.65	96.65	...	95.00	95.00	...	95.00	95.00
जोड़		**14.00**	**1285.00**	**1299.00**	**14.00**	**902.01**	**916.01**	**12.00**	**1397.00**	**1409.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. लोहा और इस्पात	12852	24.00	1285.00	1309.00	24.00	902.01	926.01	12.00	1397.00	1409.00

1. **सचिवालयः** इसके अन्तर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋणः** इसमें बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी आदि के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. सब्सिडियांः

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रावधान किया गया हैः

(क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेडः

(i) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वी आर एस) के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए

(ii) भारत सरकार द्वारा नकदी ऋण और बैंक गारंटी के लिए दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए, और

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेडः

(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर 50% ब्याज की अदायगी।

(ii) भारत सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी लिमिटेड को दिए गए ऋणों और उन पर ब्याज की माफी के लिए

(ग) **स्पौंज आयरन इंडिया लिमिटेडः** कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण पर दंडनीय ब्याज सहित ब्याज के भुगतान के लिए

(घ) **मेकॉन लिमिटेड**
वी.आर.एस. के लिए कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण पर 50% ब्याज की अदायगी के लिए।

4. **ऋणों का परिवर्तनः** स्पोंज इंडिया लिमिटेड के बकाया ऋणों को इक्वटी में बदलने के लिए सांकेतिक प्रावधान।

5. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए सरकारी उद्यम को सहायता-अनुदानः** यह प्रावधान भारत रिफ्रेक्टरीज लि. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

6. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेशः** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी स्कीम कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय सहायता दी जाती है। इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आ.ब.बा.स. व्यय बजट खण्ड-I में दर्शाये गए हैं।

7. **अन्य कार्यक्रमः** इस में लौह और इस्पात विकास आयुक्त, मंत्रालय का एक सम्बद्ध कायलिय और प्रख्यात धातु विज्ञानियों के पुरुस्कारों पर प्रतिवर्ष होने वाला संगठनात्मक व्यय शामिल हैं।

8.01 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेडः** इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और सालेम स्टील प्लांट और छह मुख्य इस्पात संयंत्र हैं। इंडियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड (आई.आईएस.सी.ओ.) जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों/एककों तथा इसकी सहायक कम्पनियों का आयोजनागत परिव्यय आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) **बोकारो इस्पात कारखानाः** परिव्यय में तरल स्टील उत्पादन स्लेट उत्पादन वृद्धि, तरल स्टील को बिक्री योग्य स्टील उत्पाद में बदलने में सुधार, ऊर्जा खपत में कमी और श्रम उत्पादकता आदि में वृद्धि शामिल है।

(ii) **भिलाई इस्पात संयंत्रः** शामिल की गई मुख्य योजना सिन्टर प्लान्ट सं.III की स्थापना है। अन्य स्कीमों में परिव्यय में संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थआपन (ए.एम.आर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(iii) **राउरकेला इस्पात संयत्रः** उत्पादन इकाइयों के लिए कच्ची सामग्री निवेशों की गुणवत्ता के सुधार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, गुणवत्ता उत्पादों में सुधार, ऊर्जा खपत में कमी,जनशक्ति लागत में कमी और पुराने उपस्कर और मशीनरी का प्रतिस्थापन शामिल है।

(iv) **दुर्गापुर इस्पात संयंत्रः** मुख्य योजनाओं में पुरानी और खराब उपस्करों के प्रतिस्थापन; गुणवत्ता उत्पादों और विभिन्न इकाइयों की उत्पादकता में सुधार प्राप्त ऊर्जा प्राप्ति संरक्षण में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी और वातावरण प्रदूषण में कमी करना शामिल है।

(v) **मिश्र धातु इस्पात संयंत्रः** परिव्यय में परियोजना आय सुधार सुविधाओं पर व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(vi) **सलेम इस्पात संयंत्रः** परिव्यय में संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (ए एम आर) आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान और जारी योजनाएं शामिल हैं।

(vii) विश्वरसरिया लौह और इस्पात संयंत्र : इसके अन्तर्गत पुराने उपकरणों को बदलने के लिए संवर्धन /संशोधन/प्रतिस्थापन हेतु परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। आरआईएनएल के लिए बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(viii) **भारतीय लौह और इस्पात क. लि.:** प्रावधान संवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाओं आदि और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान के लिए है।

8.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(आरआईएनएल):** यह पूर्व सोवियत संघ के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से भारत में स्थापित किया गया तट पर बसा पहला कारखाना है। परियोजना की सभी इकाईयां जुलाई 1992 तक स्थापित की जा चुकी हैं। इस्पात संयंत्र की अन्तिम लागत 8529.13 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी। परिव्यय जारी योजनाओं, नई योजनाओं, संवर्द्धन, संशोधन/प्रतिस्थापन पुराने उपस्करण, टाउनशिप, अनुसंधान और विकास आदि के लिए है। प्रस्तावित परिव्यय कम्पनी के अतिरिक्त स्रोतों से पूरा किया जाएगा।

8.03 **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एस.आई.आई.एल.):** स्पौंज आयरन संयंत्र लौह अयस्क 100% गैस-कुकिंग कोयला उत्पादन की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए यूएनडीपी/यूएनआईजीओ की सहायता में स्थापित किया गया था। यह परिव्यय पुरानी मशीनों के संवर्धन संशोधन और प्रतिस्थापन के लिए है और कोई बजटीय सहायता नहीं मानी गई है।

8.04 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेडः** यह कम्पनी आधुनिक इस्पात कारस्थाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी । प्रावधान विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की स्वरीद और मौजूदा उपस्कर/मशीनरी को सुधारने तथा संबंधित पूंजी व्यय के लिए है। परियोजना स्थल पर चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए उपकरणों की खरीद तथा पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय प्रावधान रखा गया है।

8.05 **भारत रिफ्रेक्ट्रीज़ लिमिटेड(बी.आर.एल):** इसके नियंत्रण में चार एकक हैंः भंडारीदाह रिफ्रेक्ट्रीज़ संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी संयंत्र, भिलाई रिफ्रैक्टरी संयंत्र तथा आई. एफ.आई.सी.ओ. को रिफेक्ट्रीज संयत्र । प्रावधान रिफ्रेक्ट्रीज़ के कास्टिंग के लिए और परिवर्द्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए किया गया है जिसे आंशिक रूप से बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

8.06 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम(एन.एम.डी.सी.):** यह देश में लौह-अयस्क और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अनेक अन्य खनिजों जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैगनेसिट, ग्रेफाइट,टंगस्टन और टिन आदि को विकास और दोहन में रत है। इसके अंतर्गत बेलादिया-14 संशोधन, बेलदिला 2 सी द्वितीय चरण और द्वितीय स्क्रीनिंग संयंत्र, केन्द्रीय कार्यशाला, बेलिदिला डिपोजिट 10/11ए, अल्ट्रा प्योर फेरिक आक्साइड संयंत्र, यूनी फ्लो प्रणाली, ब्लू डस्ट के मूल्य संवर्धिता उत्पाद, रजाब में चूना पत्थर का विकास, एचपी(एमएम) में चूना पत्थर का विकास आदि परियोजनाओं के लिए प्रावधान की व्यवस्था है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बजट-बाह्य स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

8.07 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेडः** इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए लौह कंसन्ट्रेट अयस्क उत्पादन करने के लिए की गई थी। लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप करार के अनुसार, 3 मिलियन टन कंसन्ट्रेटों का प्रयोग करने के लिए एक पेलेट संयन्त्र मई 1981 में अनुमोदित किया गया था। 116.65 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित परियोजना ने अप्रैल, 1987 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरु किया है। इसके अंतर्गत नीलबीदू खानों, गंगरीकल खानों, विद्युत

परियोजना, लिंड पेलेट परियोजना, डक्टाइल आयरल स्पन पाइप परियोजना, तथा हासन और बंगलौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के काम में भाग लेने हेतु प्रारम्भिक अयस्क विकास इक्विटी उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए परिव्यय की व्यवस्था शामिल है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बाह्य बजटीय स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

8.08 **मैंगनीज़ ओर इण्डिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.)**: यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह देश में उच्च श्रेणी के मेंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी स्वदेशी उत्पादक कम्पनी है। भूमिगत खानों की ढालों में अयस्क संचालन का यांत्रिकीकरण, डोंगरी बुजुर्ग में शुष्क प्रक्रिया अपनाकर उच्च सघनता चुम्बकीय पृथक्करण संयंत्र, संयत्र परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर), अनुसंधान व विकास/व्यवहार्यता अध्ययन और टाउनशिप। जैसी निष्पादित स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है। कुल आयोजना परिव्यय को बिना किसी बजटीय सहायता के आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

8.09 **बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज**: बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड सरकार द्वारा अक्टूबर 1980 में अधिग्रहीत मुख्यतः खनन और रिफ्रेक्टरी कार्यों में लगी हुई है। प्रावधान परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) योजनाओं जो बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं, के लिए है।

8.10 **मैकॉन लिमिटेड**: यह प्राथमिक अभिकल्पना, अभियान्त्रिकी और परमर्शी संगठन न केवल लोहा और इस्पात उद्योगों, बल्कि गैर-फैरस धातु, रासायनिक, खान, रिफेक्ट्री, विद्युत संयन्त्र, पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी, सामान्य अभियान्त्रिकी, सीमेण्ट और समुद्र विज्ञान अभियान्त्रिकी उद्योगों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरों आदि के लिए प्रावधान किया गया है। योजना परिव्यय का आंशिक वित्त पोषण बजटीय सहायता से किया जा रहा है।

8.11 **एम.एस.टी.सी. लि.**: कम्पनी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले लौह कबाड़े और अन्य गौण उत्पादों की बिक्री, अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों से कबाड़े और अधिशेष भंडारों आदि की बिक्री का कार्य करती है। यह अयस्क और गैर-अयस्क स्क्रैप, तैयार इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी करता है। इस कंपनी द्वारा भारत के भीतर अधिप्राप्त मदों के व्यापार की जिम्मेदारी निपटायी जाती है। कैनालाइज़ेशन समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् कंपनी के पास कोई कैनालाइजड मठ नहीं है तथा यह निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता के अन्तर्गत वास्तविक उपयोग कर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार स्क्रेप तथा अन्य वस्तुओं का आयात करती है। इसके अन्तर्गत कार्नर कास्टिंग, विग आयरन तथा डक्टिल स्पन पाइप परियोजना, एसजेके स्टील निगम के साथ संयुक्त उद्यम तथा पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदलने के लिए व्यवस्था की गयी है। योजना परिव्ययय को कंपनी के आंतरिक और बाह्य बजट संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

8.12 **फैरो स्क्रेप निगम लि. एफ.एस.एन.एल.**: एम.एस.टी.सी. की एक सहायक कंपनी संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसमें मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि० के 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, शेष 40 प्रतिशत शेयरों का धारक मैसर्ज हार्सको कारपोरेशन आइ.एन.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका है। कम्पनी बर्नपुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला विजाग और दुर्गापुर में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करते हैं। लौह-चूर्ण को पुनः संसाधित करने और कूड़े-कर्कट से लौह और इस्पात प्राप्त करने के लिए फैरो स्क्रेप निगम लि० को विभिन्न प्रकार के उपस्करों पर निर्भर रहना पड़ता है। कम्पनी को विभिन्न प्रकार के उपकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना है। इस प्रकार के उपकरणों के नियमित प्रयोग के लिए भी कम्पनी को संवर्द्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन का आश्रय लेना पड़ता है। सम्पूर्ण योजना परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के बिना आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

8.13 **अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी मिशन**: इसमें अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को वित्त पोषित करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिए प्रावधान किया गया है।